

सेवा में/ To,

## भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय/ MINISTRY OF FINANCE

### आयकर विभाग/ INCOME TAX DEPARTMENT OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX **CCIT, AHMEDABAD-1**

KRISH MEDICARE PRIVATE LIMITED
ANANTA HOSPITAL(A UNIT OF KRISH MEDICARE
PVT LTD) NEAR SHAHEED MAJOR RUSHIKESH

RAMANI GARDEN, NIKOL AHMEDABAD, Gujarat, India, 382350,

स्थायी लेखा संख्या/ PAN:	द.प.सं. एवं प्रपत्राक संख्या / DIN & Document No.:	दिनांक/ Dated:
AAJCK5358F	ITBA/COM/S/91/2025-26/1077857420(1)	26/06/2025

#### Intimation Letter

महोदय/महोदया/ मेसर्स,

Sir/ Madam/ M/s,

This is to inform you that Order/Notice/Letter dated 26/06/2025 is having Document No. (DIN) ITBA/COM/M/17/2025-26/1077857248(1).

This is a system generated document and does not require any signature.



कार्यालय - म्ख्य आयकर आयुक्त -1, अहमदाबाद

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX -1, AHMEDABAD

कक्ष सं 708, आयकर भवन, वेजलप्र, अहमदाबाद

Room No. 708, Aayakar Bhawan, Vejalpur, Ahmedabad

दूरभाष (079) 26941707, पिन: 380015 / Tel. : (079) 26941707, PIN: 380015

E mail: ahmedabad.ccit1@incometax.gov.in

दिनांक: 26.06.2025

का.मु.आ.आ.-1/अहम/मुख्या./17(2)/AH(214)/2025-26

विषय: आयकर नियमावली, 1962 के नियम उए(1) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन अनंता अस्पताल (कृष मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई), शहीद मेजर रुशिकेश रमानी गार्डन के पास, निकाल, अहमदाबाद - 382350 (PAN: AAJCK5358F) को अनुमोदन प्रदान करने के बारे में-

Sub.: Approval under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the I. T. Act, 1961 in respect of Ananta Hospital (A unit of Krish Medicare Pvt Ltd), Near Shaheed Major Rushikesh Ramani Garden, Nikol, Ahmedabad – 382350 (PAN: AAJCK5358F)

# आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुमोदन

### Approval u/s 17(2) of the I. T. Act, 1961

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन और उसमें उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैं मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए:

अनंता अस्पताल (कृष मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई), शहीद मेजर रुशिकेश रमानी गार्डन के पास, निकाल, अहमदाबाद - 382350 (PAN: AAJCK5358F) को इसके द्वारा अनुमोदन प्रदान करता हैं।

In exercise of powers conferred under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income-tax Act,1961 read with Rule 3A(1) of the Income tax Rules,1962 and having regard to guidelines prescribed therein, approval is hereby granted to:

Ananta Hospital (A unit of Krish Medicare Pvt Ltd), Near Shaheed Major Rushikesh Ramani Garden, Nikol, Ahmedabad – 382350 (PAN: AAJCK5358F)

2. तदानुसार, किसी कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य पर आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(2) के अधीन विहित रोग अथवा बीमारी के इलाज के लिए ऊपर उल्लिखित अस्पताल में प्रत्यक्ष रूप से किए गए किसी भी खर्च के लिए नियोक्ता द्वारा संदत्त राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15,16 व 17 के उद्देश्यों के लिए परिलब्धि नहीं माना जाएगा। कर्मचारी को ऐसी राशि के लिए आयकर में छूट दी जाएगी। ऐसी राशि के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अधीन नियोक्ता कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।



- 2. Accordingly, any sum paid by an employer in respect of any expenditure actually incurred by an employee on his/her medical treatment or any other member of his/her family at the above mentioned Hospital in respect of the diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2) of the Income tax Rules,1962, shall not be treated as perquisite for the purpose of section 15,16 and 17 of the Income tax Act,1961 and such sum shall be exempt from Income tax in the hands of the employee. The employer will not be liable to deduct tax under section 192 of the Income tax Act, 1961 in respect of such sum.
- 3. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के उद्देश्य के लिए एवं इसको किसी अन्य उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त गुजरात अथवा सरकार के अधीन किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 3. The approval is only for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income tax Act, 1961 and shall not be construed as approval of the Central Government or the Chief Commissioner of Income tax-1, Ahmedabad or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.
- 4. यह अनुमोदन तारीख 26.06.2025 to 25.06.2028 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा। यह अनुमोदन आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन ऐसे अनुमोदन तथा संशोधन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी परिवर्तन द्वारा अनिवार्य बनाने की स्थिति में नियम 3ए(2) के अधीन विहित सांविधिक शर्तों के साथ अस्पताल द्वारा अनवरत अनुपालन पर निर्भर है।
- 4. The approval is valid for a period of three years from 26.06.2025 to 25.06.2028 and is subject to the continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 3A of the Income tax Rules, 1962 necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income tax Act, 1961.
- यह अनुमोदन का आदेश निम्निलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है:-
- The order of the approval is subject to the following terms and conditions:-
  - (क) यह अनुमोदन केवल अनंता अस्पताल (कृष मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई), शहीद मेजर रिशकेश रमानी गार्डन के पास, निकाल, अहमदाबाद 382350 के लिए है और हस्तांतरणीय नहीं है,
  - (a) The approval is only for Ananta Hospital (A unit of Krish Medicare Pvt Ltd), Near Shaheed Major Rushikesh Ramani Garden, Nikol, Ahmedabad – 382350 and is not transferable,
  - (ख) आयकर विभाग द्वारा विधिवत रूप से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए अस्पताल सभी उचित समय पर खुला रहेगा।
  - (b) The Hospital shall, at all reasonable times, be open for inspection by such officers of the Income tax Department as are duly authorized in this behalf,
  - (ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन अस्पताल को विहित शर्तों का पालन करना होगा। कानून द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अस्पताल की ओर से यह अनिवार्य होगा कि ऐसे तथ्य की सूचना अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी को तुरंत दी जाए।



- (C) The hospital shall conform to such conditions as are prescribed under sub Clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income tax Act, 1961 read with Rule 3A of the Income tax Rules, 1962. In the event that the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed under the Act, it will be mandatory on the part of the hospital, to intimate such fact immediately, to the approving authority.
- (घ) यदि निर्धारिती कंपनी, जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है, अनुमोदन की समाप्ति की तारीख से पहले किसी भी कारण से विलय, विलीन हो जाती है या अस्तित्व समाप्त हो जाती है, तो अनुमोदन समाप्त हो जाएगा।
- (d) The approval shall cease to exist in case the assessee company in whose name it is issued, merges, demerges or ceases to exist due to any reason, whatsoever, before the date of expiry of the approval.
- (ड) यह अनुमोदन निम्नलिखित बीमारियों/उपचार के लिए मान्य है:

i.कैंसर;

ii.तपेदिक;

iii.अधिग्रहित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम;

iv.हृदय, रक्त, लसीका ग्रंथियां, अस्थि मज्जा, श्वसन प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मूत्र प्रणाली, यकृत, पिताशय, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां या त्वचा की बीमारी या बीमारी, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन की आवश्यकता होती है;

v.आंख, कान, नाक या गले की बीमारी या बीमारी, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन की आवश्यकता हो;

vi.कंकाल प्रणाली के किसी भी हिस्से में फ्रैक्चर या कशेरुकाओं की अव्यवस्था जिसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन या आर्थीपेडिक उपचार की आवश्यकता होती है;

vii.स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति संबंधी बीमारी या ऐसी बीमारी जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन, सिजेरियन ऑपरेशन या लेप्रोस्कोपिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है;

viii.(iv) में उल्लिखित अंगों की बीमारी या रोग, जिसके लिए अस्पताल में कम से कम तीन लगातार दिनों तक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है;

ix.स्त्री रोग संबंधी या प्रस्ति संबंधी बीमारी या ऐसी बीमारी जिसके लिए अस्पताल में कम से कम तीन लगातार दिनों तक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है;

x.जली हुई चोटों के लिए अस्पताल में कम से कम तीन लगातार दिनों तक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है;

xi.मानसिक विकार - विक्षिप्त या मानसिक - कम से कम लगातार तीन दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है;

xii.नशीली दवाओं की लत के लिए अस्पताल में कम से कम सात दिनों तक लगातार चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है;



xiii.इंसुलिन शॉक, दवा प्रतिक्रियाओं और अन्य एलर्जी अभिव्यक्तियों सिहत एनाफिलेक्टिक झटके, जिसमें कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है।

- (e) This approval is valid for the following diseases/treatments:
  - i. cancer;
  - ii. tuberculosis;
  - iii. acquired immunity deficiency syndrome;
  - iv. disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation;
  - v. ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation;
  - vi. fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopaedic treatment;
  - vii.gynaecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laperoscopic intervention;
  - viii. ailment or disease of the organs mentioned at (iv), requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
  - ix. gynaecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
  - x. burn injuries requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
  - xi. mental disorder neurotic or psychotic requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
  - xii.drug addiction requiring medical treatment in a hospital for at least seven continuous days;
  - xiii.anaphylectic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.
  - (च) इस अनुमोदन की समाप्ति के कम से कम 90 दिन पहले अनुमोदन के नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
  - (f) The application for renewal of approval should be submitted at least 90 days before the expiry of the current approval.

(एस. नैयेर अली नजमी)

(S. Naiyer Ali Najmi)

मुख्य आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद। Chief Commissioner of Income tax-1, Ahmedabad. निदेशक, अनंता अस्पताल (कृष मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई), शहीद मेजर रुशिकेश रमानी गार्डन के पास, निकाल, अहमदाबाद - 382350

The Director, Ananta Hospital (A unit of Krish Medicare Pvt Ltd), Near Shaheed Major Rushikesh Ramani Garden, Nikol, Ahmedabad – 382350

Copy To/ प्रतिलिपि:-

- 1) The Chairperson, CBDT
- 2) All Pr.CCITs
- 3) All CCITs
- 4) Principal Commissioners of Income-tax 3, Ahmedabad
- 5) The Municipal Commissioner, Ahmedabad with a request to inform this office immediately in case of revocation/cancellation of the form/license/registration of the hospital
- The Addl. CIT. Range-4(1), Ahmedabad.
- 7) DCIT, Circle-4(1)(1), Ahmedabad
- 8) DCIT(HQ)(Coord.), Ahmedabad
- 9) Guard File.



सहायक आयकर आयुक्त (मुख्या.)-1,

कृते, मुख्य आयकर आयुक्त अहमदाबाद-1